न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – 105 / 22   निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. साबू बाई उर्फ श्यानू बाई पुत्री आशा पत्नी सेवूलाल बंजारा उम्र 47 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम कांकरिया तहसील कनवास जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री विनोद गौतम
प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट</u>
<u>बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती</u>

वादनी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 वादीनी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बास्याहेड़ी पटवार हल्का बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नई 29 की खसरा नं0 235 की रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 236 की रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 237 की रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 541 की रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 542 की रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 543 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 544 की रकबा 1.11 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 4.23 है0, आराजी स्थित है। जिसमें मुझ वादिनी का 1/45 हिस्सा निहित है जो वादीनी के पिता आशा से विरासत में प्राप्त हुई है। वाद पत्र के पैरा नं0 01 में वर्णित आराजी में वादीनी का गलत नाम श्यानू बाई पिता के फोती इंतकाल के समय हल्का पटवारी को किसी व्यक्ति के द्वारा विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय बताने पर दर्ज किया गया था जबकि वादीनी का वास्तविक सही नाम साबू बाई है। वादीनी की माता धापू बाई की मृत्यु होने के बाद फोती इंतकाल की कार्यवाही के दौरान वादीनी का सही नाम साबू बाई पुत्री धापू बाई हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया है। इसलिए वादीनी के राजस्व रिकार्ड में दो स्थान पर श्यानू बाई पुत्री आशा बाई तथा साबू बाई पुत्री धापू बाई दर्ज हो गया, जबकि दोनों नाम श्यानू बाई पुत्री आशा तथा साबू बाई पुत्री धापू बाई एक ही महिला के नाम है। इस नाम व वल्दीयात की ग्राम कांकरिया तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में अन्य कोई महिला नहीं है। वादीनी के राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न नाम की वजह से तथा वादीनी के पिता आशा का फोती इंतकाल के समय श्यानू बाई पुत्री आशा तथा वादीनी की माता धापू बाई के फोती इंतकाल में साबू बाई पुत्री धापू बाई दर्ज होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी न्यायहित में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादीनी गत सप्ताह अपने खाते पर कृषि ऋण लेने के लिए बैंक जाने पर बैंक अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम की भिन्नता होने के कारण कृषि ऋण स्वीकृत करने में असमर्थना व्यक्त करने तथा हल्का पटवारी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन करने का सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को न्याय हित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं गई तो वादिनी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

माल ग्राम बास्याहेडी पटवार हल्का बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नई 29 की खसरा नं0 235 की रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 236 की रकबर 0.08 है0, खसरा नं0 237 की रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 541 की रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 542 की रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 543 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 544 की रकबा 1.11 है0 कुल किता 7 की कुल रकबा 4.23 है0, आराजी में वादीनी का नाम श्यानूबाई के स्थान पर साबू बाई दर्ज किया जावें। तथा श्यानू बाई पुत्री आशा का हिस्सा 1/45 व साबू बाई पुत्री धापू बाई का हिस्सा 1/180 मर्ज कर दोनों मिलाकर 1/36 हिस्सा दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जर्ये सम्मन की गई प्रतिवादी कम 1 के असल /अदम सम्मन अप्राप्त प.ावली पर वादी द्वारा सहखातेदारन कजोड व शंकर पुत्रान आशा जाति बंजारा निवासी कांकरिया तहसील कनवास के द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में नियत कि गई। पत्रावली पर जवाब सरकार में वादनी के वाद पत्र का कोई विरोध नही किया गया है अतः पत्रावली पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पत्रावली पर गवाह कजोड व शंकर उपस्थित हुए हस्ताक्षर करावाये वादी अधिवक्ता उपस्थित साक्ष्यवादी में गवाह पीडब्लू 1 कजोड व पीडब्लू 2 शंकर पुत्र आशा के शपथ पत्र साक्ष्य वादी में पेश हुए शपथ पत्र तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये जिरह बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई बहस वादी एक तरफा सुनी गई वादी का वाद उचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम बास्याहेड़ी पटवार हल्का बास्याहेड़ी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नई 29 की खसरा नं0 235 की रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 236 की रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 237 की रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 541 की रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 542 की रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 543 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 544 की रकबा 1.11 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 4.23 है0, आराजी में वादनी का नाम श्यानूबाई के स्थान पर साबू बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा श्यानूबाई पुत्री आशा का हिस्सा 1/45 व साबूबाई पुत्री धापूबाई का हिस्सा 1/180 मर्ज कर दोनों मिलाकर 1/36 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्टीय लोक अदालत 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजेश डागा (आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-I)

इस अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय व इजलास श्री राजेश डागाR.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या:- 106 / 22 निर्णय दिनांक 11.02.2023

<u>बइजलास</u>

1 साबू बाई उर्फ श्यानू बाई पुत्री आशा पत्नी सेडूलाल बंजारा उम्र 47 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम कांकरिया तहसील कनवास जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
वादी की ओर से एडवोकेट श्री विनोद गौतम
प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट</u>
<u>बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती</u>

मुकदमा नं. 106 / 22 सन 2022 तारीख फैसला 11.02.2022 **न्यायालय बइजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री विनोद कुमार गौतम वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम बास्याहेडी पटवार हल्का बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नई 29 की खसरा नं0 235 की रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 236 की रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 237 की रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 541 की रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 542 की रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 543 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 544 की रकबा 1.11 है0, कुल किता 07 की कुल रकबा 4.23 है0, आराजी में वादनी का नाम श्यानूबाई के स्थान पर साबू बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा श्यानूबाई पुत्री आशा का हिस्सा 1/45 व साबूबाई पुत्री धापूबाई का हिस्सा 1/180 मर्ज कर दोनों मिलाकर 1/36 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसारन अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।नीज ... **X**...मुबलिग ....**X** ...बाबत ...**X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ...**X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X**..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11.02.2023** माह **फरवरी 2023** को जारी की गई।
मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

मुद्दई		रुपया	पै	मुद्दाअलेह		रुपया	पै
स्टाम्प दरख्वास्त	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प तलबाना गवाहान	....			महन्ताना वकील	....		
महन्ताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास